झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) गिरिडीह / MDM–12 / 2023 - 443

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 04.07.2023

विषयः– **परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह से प्राप्त परिवाद–पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में गिरिडीह जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक, श्री विनय कुमार द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह में मध्याह्न भोजन के 17 बोरा चावल को लेकर हुई अनियमितता के मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक–24.02.2023 के उनके परिवाद–पत्र के माध्यम से आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा के पूर्व प्रधानाध्यापक, श्री राम किशोर यादव द्वारा कोरोना काल के दौरान छात्र–छात्राओं को मध्याह्न भोजन के चावल वितरण में अनियमितता की शिकायत से सम्बन्धित परिवाद–पत्र आयोग को समर्पित किया गया था। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद–पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन समिति एवं वार्ड सदस्यों के दिनांक–20.01.2022 की बैठक में उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा बचा कर रखे गये 17 बोरा चावल सड़ा हुआ पाया गया। साथ ही परिवादी ने लाभुक छात्र–छात्राओं को मुआवजा दिलाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

प्राप्त परिवाद–पत्र के मामले में आयोग स्तर से सुनवाई हेतु वाद सं0–16 / 2023 प्रारंभ की गई। सुनवाई के क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जाँच के बाद सही पाये गये। इसलिये सम्बन्धित लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

परिवादी का आरोप है कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में लीपापोती की गई और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मो0 मुजाहिर अंसारी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया गया, जिन्होंने इस मामले को विभाग के संज्ञान में लाया था। परिवादी द्वारा उक्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने एवं उक्त मामले में जिम्मेदार अधिकारियों / शिक्षकों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/7/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx349

सेवा में,
श्रीमान निदेशक महोदय
झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड
रांची।

विषय: गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक श्री विनय कुमार द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा (बगोदर) में मध्याह्न भोजन के 17 बोरा चावल को लेकर हुई अनियमितता के मामले में लीपापोती करने के संबंध में।

प्रसंग: जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह का ज्ञापांक 928/गिरिडीह दिनांक 05.06.2023 के संदर्भ में। (अनुलग्नक-1)

महोदय,

गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के औंरा पंचायत स्थित आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में कोविड के दौरान मध्याह्न भोजन योजना का 17 बोरा चावल वितरण छात्र-छात्रों के बीच नहीं किया गया था और ये अनाज स्कूल में पड़े-पड़े सड़ गया। इस मामले को मैंने माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग के समक्ष उठाया जिसके बाद वाद संख्या 16/2023 दर्ज किया गया। इस मामले में माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग की दखल के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जांच करवाई गई और जांचोपरांत जो आदेश निर्गत किया गया, उसमें लीपापोती की गई और जिला शिक्षा विभाग की तरफ से हुई कोताही पर पर्दा डाला गया तथा प्रबंधन समिति (आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा) के अध्यक्ष मो. मुजाहिर अंसारी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया गया जिन्होंने इस मामले को शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाया था और व्हिसल ब्लोअर जैसी भूमिका निभाई थी।

इस पूरे मामले को बिंदुवार इस तरह से समझा जा सकता है:

1. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा को जुलाई-अगस्त-सितंबर 2021 का 45 बोरा चावल (MDM) 27.08.2021 को प्राप्त हुआ था। (अनुलग्नक-2)
2. जब उक्त 45 बोरा चावल स्कूल को प्राप्त हुआ था तब विद्यालय एकल अधिकार (यानी सचिव सह प्रधानाध्यापक) के तहत संचालन में था और MDM के चावल वितरण के क्रियान्वयन अकेले ही सचिव के द्वारा किया जा रहा था

(8)

क्योंकि तब विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति/प्रबंधन समिति अस्तित्व में नहीं थी।

3. सचिव (प्रभारी प्रधानाध्यापक) के द्वारा बताया गया कि जुलाई-अगस्त 2021 के चावल का वितरण का निर्देश जिला शिक्षा विभाग की तरफ से मिला था इसलिए इन दो महीनों के चावल का उन्होंने वितरण करवा दिया था लेकिन विभाग की तरफ से सितंबर 2021 के चावल के वितरण का निर्देश नहीं मिला था इसलिए इसका वितरण नहीं किया जा सका। (अनुलग्न-3)
4. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 13.09.2021 को किया गया और मो. मुजाहिर अंसारी इस समिति के अध्यक्ष बने। पुनर्गठित प्रबंधन समिति की पहली से लेकर छठी बैठक में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सह सचिव के द्वारा ये बताया नहीं गया कि पहले से MDM का 17 बोरा चावल स्कूल में पड़ा हुआ है जिसे वितरित नहीं किया गया है। (अनुलग्नक-4)
5. MDM के राशन की अनियमितता और कालाबाजारी की जांच कर रही बगोदर पुलिस की टीम जनवरी 2022 में दो-दो बार आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा पहुंची और स्कूल में पड़े 17 बोरा चावल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। तब जाकर प्रबंधन समिति को पता चला कि विद्यालय में 17 बोरा चावल पड़ा हुआ है और ये मामला संदिग्ध है क्योंकि पुलिस भी जांच कर रही है।
6. प्रबंधन समिति ने 20.01.2022 को बैठक बुलाई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 17 बोरा चावल के मामले को लेकर शिक्षा विभाग को सूचित किया जाए। (अनुलग्न-5)
7. प्रबंधन समिति और ग्रामीणों ने 02.02.2022 को जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को इस बाबत पत्र लिखा और जांच की मांग की। साथ ही 17 बोरा चावल का क्या करना है, इसे लेकर भी निर्देश मांगा गया। (अनुलग्नक-6)
8. प्रबंधन समिति के उक्त आवेदन के आलोक में श्री विनय कुमार, तत्कालीन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी (वर्तमान में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह) इस मामले की जांच करने दो बार 25.02.2022 और 09.03.2022 को आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा पहुंचे। (अनुलग्नक-7)

9. दो बार विद्यालय जांच करने पहुंचे श्री विनय कुमार, तत्कालीन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी (वर्तमान में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह) ने इस मामले में क्या रिपोर्ट दी, इसकी जानकारी प्रबंधन समिति को कभी नहीं दी गई।
10. श्री विनय कुमार, तत्कालीन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी (वर्तमान में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह) की तरफ से कोताही बरती गई और जान-बूझकर इस मामले को लटकाए रखा गया और कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया कि 17 बोरा चावल का क्या करना है?
11. इसी बीच, औंरा का एक ग्रामीण होने के नाते मैंने ये मामला माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची के समक्ष उठाया जिसमें वाद संख्या 16/2023 दर्ज हुआ और माननीय आयोग ने जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को जांच के निर्देश दिए। (अनुलग्नक-8)
12. जिस मामले की क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी के पद पर रहते हुए श्री विनय कुमार ने आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में जाकर जांच-पड़ताल की थी और जिन्हें पूरे प्रकरण का पूर्व से ही संज्ञान था, अब वो श्री विनय कुमार खुद जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर आसीन हो चुके थे, फिर भी इस मामले में उन्होंने लापरवाही दिखाई जिसकी वजह से माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची ने उन पर नाराजगी जताई थी और सख्त निर्देश दिए थे। (अनुलग्नक-9)
13. माननीय झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची की दखल के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डुमरी-1 और डुमरी-3 से जांच करवाई और फिर आदेश जारी किया जिसमें विद्यालय के तीन-तीन प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की बात कही गई लेकिन साथ में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मो. मुजाहिर अंसारी को अध्यक्ष पद से विमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। (अनुलग्नक-1)
14. यहां गौर करने वाली बात ये है कि मो. मुजाहिर अंसारी ही वो शख्स हैं जिन्होंने खुद जिला शिक्षा विभाग के संज्ञान में 17 बोरा चावल का मामला लाया था और इस मामले की जांच करने की मांग की थी और साथ ही जिला शिक्षा विभाग से ये निर्देश मांगा था कि इन 17 बोरा चावल का क्या करना है?
15. यहां ये सनद रहे कि मौजूदा जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह श्री विनय कुमार ने क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी के पद पर रहते हुए फरवरी-मार्च 2022 में इस

मामले की जांच की थी लेकिन न तो उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रबंधन समिति से साझा किया और न ही प्रबंधन समिति को ये निर्देश ही दिया कि इन 17 बोरा चावल का क्या करना है?

16. जाहिर तौर पर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी पद पर रहते हुए पहले श्री विनय कुमार ने इस मामले में लीपापोती की कोशिश की और अब जब वो जिला शिक्षा अधीक्षक पद पर आसीन हैं, तब भी उन्होंने अपनी तरफ से की गई लापरवाही और जिला शिक्षा विभाग की तरफ से की गई शिथिलता पर पर्दा डालने के लिए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मो. मुजाहिर अंसारी को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाए और बच्चों का हक मारकर जो 17 बोरा चावल सड़ा दिया गया, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही इस मामले में श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के द्वारा किए गए लीपापोती के प्रयास का संज्ञान लेते हुए उनकी भूमिका की भी जांच की जाए।

औंरा, गिरिडीह

दिनांक: 13.06.2023

प्रकाश चन्द्र चन्दन

प्रकाश चंद्र चंदन
ग्राम+पोस्ट- औंरा
थाना- बगोदर
जिला- गिरिडीह
झारखंड- 825322
मो.- 9835843610
prakashrti1980@gmail.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु:

1. माननीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड
3. सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड

अनु-01

(16)

कार्यालयः—जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह।

तृतीय तल्ला (बायॉ विंग) समाहरणालय भवन, पपरवाटॉड, गिरिडीह—815301
ई—मेलः—mdmgiridih@gmail.com

कार्यालय—आदेश

श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पोस्ट—औरा, थाना—बगोदर, जिला—गिरिडीह द्वारा दिये गये परिवाद पत्र जो मध्य विद्यालय औरा, बगोदर के मध्याह्न भोजन योजना का 17 बोरी चावल के वितरण नहीं करने से संबंधित है, के आलोक में निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक—214 दिनांक—17.04.2023 के द्वारा प्राप्त निदेशानुसार एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के वाद संख्या—16/2023 में दिये गये आदेशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक—637 दिनांक—18.04.2023 के द्वारा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, डुमरी—03 एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, डुमरी—01 के द्वारा संयुक्त जाँच करायी गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक—176 दिनांक—18.05.2023 के आलोक में इस मामले संबंधित श्री रामकिशोर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक सम्प्रति सहायक शिक्षक, श्री नारायण राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्रीमती मंजू रानी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका सम्प्रति सेवानिवृत एवं मो0 मुजाहिर अंसारी, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, मध्य विद्यालय औरा, बगोदर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण को अवलोकनोपरांत/सम्यक विचारोपरांत इस संबंध में निम्नांकित आदेश निर्गत किये जाते हैंः—

1. श्री रामकिशोर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक सम्प्रति सहायक शिक्षक एवं श्री नारायण राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय औरा, बगोदर को विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है। इन सभी के विरूद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।
2. श्रीमती मंजू रानी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका सम्प्रति सेवानिवृत, मध्य विद्यालय औरा, बगोदर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया।
3. मो0 मुजाहिर अंसारी, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, मध्य विद्यालय औरा, बगोदर को अध्यक्ष पद से विमुक्त कर नये स्तर से मध्य विद्यालय औरा, बगोदर में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कर पुनः नये अध्यक्ष को चयनित करने हेतु प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बगोदर को आदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/—
जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 928 /गिरिडीह, दिनांक 05 / 06 /2023

प्रतिलिपिः—क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डुमरी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बगोदर/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित विद्यालय प्रधान/संबंधित शिक्षक/सेवानिवृत शिक्षिका एवं मो0 मुजाहिर अंसारी, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, मध्य विद्यालय औरा, बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/2023

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।

अनु-02

(M)

MDM Rice - April 2021 to June 2021

I-V — 750 kg

VI-VIII - 1050 kg

1800 kg in 36 bags only.

MP Singh
29/5/21

Yadav
29/5/21

July 2021 to Sep 2021

MDM - I-V — 900 kg

MDM - VI-VIII - 1350 kg

Total - 2250 kg in 45 bags only.

MP Singh
27/8/21

Yadav
27/8/21

अनु-03

(13)

कार्यालयः– प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, डुमरी–03, गिरिडीह ।

पत्रांक 176/

प्रेषक,

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
डुमरी–03, गिरिडीह।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह ।

डुमरी, दिनांक 18/05/2023

विषय :– आदर्श मध्य विद्यालय औरा प्रखण्ड बगोदर जिला गिरिडीह का जाँच प्रतिवेदन सौंपने के संबंध में ।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 637, दिनांक 18.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 637, दिनांक 18.04.2023 के संदर्भ में आदर्श मध्य विद्यालय औरा प्रखण्ड बगोदर का स्थलीय जाँच संयुक्त रुप से दिनांक 26.04.2023 को किया गया। जाँच के कम में तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री रामकिशोर यादव वर्तमान प्र. प्रधानाध्यापक श्री नारायण राम एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से जाँच से संबंधित जानकारी मौखिक रुप से लिया गया, तथा श्री रामकिशोर यादव, नारायण राम एवं अध्यक्ष की उपस्थिति में गोदाम में रखे खाद्ययान को देखा। जाँच से संबंधित विन्दुवार वर्तमान प्र.प्रधानायापक श्री नारायण राम, तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री रामकिशोर यादव एवं प्रभारी प्रधानाध्यापिका वर्तमान में सेवा निवृत मंजु कुमारी ने अपना लिखित पत्र प्रस्तुत किया।

1. श्री नारायण राम वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अपना पक्ष रखा है कि माह सितम्बर 2021 का चावल (पोषाहर) वितरण शिक्षकों की सहमति से 21.12.2021 को बच्चों के बीच वितरण किया जा रहा था, किन्तु वर्तमान अध्यक्ष मो0 मोजाहिद अंसारी ने विवादित पोषाहार बताकर वितरण पर रोक लगाया। रोक लगाने से संबंधित पत्र उच्चाधिकारी को प्रेषित पत्र अप्राप्त। रोक की जानकारी किसी सक्षम पदाधिकारी को देना चाहिए जो उन्होंने नहीं दिया।
2. श्री रामकिशोर यादव :– श्री रामकिशोर यादव ने अपना पक्ष में लिखित रुप से दिया है, जिसमें यह बात सामने आई कि उनके विद्यालय में कोविड–19 को पोषाहार जुलाई 21 से सितम्बर 2021 तक का प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा माह जुलाई 2021 एवं अगस्त 2021 तक का चावल वितरण छात्र–छात्राओं के बीच किया है, सितम्बर का चावल वितरण अस्पष्ट दिशा निदेश के चलते ~~अक्टूबर 2021 तक~~ सितम्बर 2021 का प्रतिपूर्ति कोविड–19 का पोषाहार वितरण नहीं किया गया, तत्पश्चात श्री यादव दिनांक 20.12.2021 से 18.02.2022 तक चिकित्सा अवकाश में रहे। उक्त अवधि में श्री नारायण राम विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, जिनके द्वारा भी चावल वितरण नहीं होने का अध्यक्ष द्वारा वितरण पर रोक लगाने की सूचना अपने सक्षम पदाधिकारी को देना चाहिए जो श्री राम के द्वारा नहीं दिया गया, और पूर्व का पोषाहार रहते पोषाहार का उठाव करते रहे, जिससे चावल लगातार अधिक दिनों तक गोदाम में पड़ा रहा और सड़ने की स्थिति में हुआ।

3. मंजु रानी तत्कालीन प्रधानाध्यापिका जो आदर्श मध्य विद्यालय औरा, बगोदर, गिरिडीह
18.12.2021 से 01.02.2022 तक विद्यालय प्रभार में रही। श्रीमती मंजु रानी के द्वारा पोषाहार का
चावल पूर्व का रहते पुनः अक्टूवर 2021 से दिसम्बर 2021 तक का पोषाहार का उठवा की।
अक्टूवर 2021 से दिसम्बर 2021 तक का पोषाहार वितरण का आदेश मिलने पर उनके द्वारा
बच्चों के बीच वितरण किया जाने लगा, किन्तु अध्यक्ष के द्वारा वितरण पर रोक लगाया गया,
रोक लगाने की सूचना इनके द्वारा भी सक्षम पदाधिकारी को नहीं दी गई।

4. आदर्श मध्य विद्यालय औरा, अंचल बगोदर के वर्तमान अध्यक्ष मो0 मोजाहिद अंसारी का लिखित
मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया गया है
कि कोविड–19 का प्रतिपूर्ति का चावल माह सितम्बर का जो गोदाम में पड़ा है, वितरण से
संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी भी बैठक में संज्ञान में नहीं दिया है। बैठक पंजी के
अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में 13.09.2021 से लेकर दिनांक 23.12.2021 तक कुल
6 बैठक किया गया है, जिसमें गोदाम में पड़ा 17 बोरा चावल जो वितरण का था, एक बार भी
मामला नहीं उठाया गया। दिनांक 21.01.2022 को बैठक संख्या 7 के प्रस्ताव संख्या 5 में
सितम्बर 2021 के MDM का चावल जो कोविड–19 के प्रतिपूर्ति 17 बोरा था का मामला उठाया
गया था, जिसमें वितरण पर कोई निर्णय समिति के द्वारा नहीं किया गया। चावल वितरण नहीं
होने में अध्यक्ष की पूरी जवाबदेही बनता है।

निस्कर्षः– पोषाहार वितरण में विद्यालय प्रबंधन समिति की अहम् भूमिका होती है, जो पूरे घटना कम में
विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका असहयोग्यात्मक रहा, फलस्वरुप चावल पोषाहार का सड़ने और न
बटने में अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी रही।

वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री नारायण राम को चावल पोषाहार को बटने में उत्पन्न बाधा के संबंध में
सक्षम पदाधिकारी को सूचना लिखित देना चाहिए तथा प्रबंधन समिति के साथ ताल–मेल कर वितरण
कराना चाहिए जो नहीं किया गया। इस तरह श्री नारायण राम, श्रीमती मंजु रानी एवं अध्यक्ष की
लापरवाही से गोदाम में 17 बोरी चावल जो खराब स्थिति में है, जिम्मेवार हैं। इसके अतिरिक्त 4 बोरी
दूसरे कमरे में था विद्यालय प्रबंधन समिति की लापरवाही से चावल सड़ा देखा गया।

श्री रामकिशोर यादव विद्यालय प्रबंधन समिति एवं दोनों प्रभारी से समन्वय स्थापित करने में विफल
रहे आंशिक रुप से श्री यादव भी दोषी प्रतीत होते हैं।

अनुलग्नकः– 1. श्री रामकिशोर यादव द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की 01 प्रति,
2. मंजु रानी सेवा निवृत शिक्षिका की लिखित 01 प्रति,
3. नारायण राम का लिखित पत्र की 01 प्रति।

विश्वासभाजन

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
डुमरी 01, गिरिडीह।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
डुमरी 03, गिरिडीह।

(4)

आज दिनांक 20.01.2022 दिन गुरुवार को ग्रामीणों की उपस्थिति में एक आवश्यक बैठक रखी गई जिसकी अध्यक्षता मो० मुजाहिद अंसारी ने की।

Md Mujahid Ansari
अध्यक्षता की
20/1/2022

ग्रामीणों की उपस्थिति तदनुसार एवं प्रबंध समिति

(1) प्रकाश चन्द्र चन्द्र 20.01.2022
(2) संतोष कुमार 20.01.2022
(3) Ainul Ansari
(4) Sahadat Ansari
(5) रवि मेहता भा.ज.पा. महामंत्री औरा 20/1/2022
(6) सुनील कुमार गुप्ता 20.01.2022
(7) भीम लाल महतो
(8) रेखा कुमारी
(9) मंजु रानी सहायक शिक्षिका उ०म०वि० औरा।
(10) [signature] (Astt. teacher M.S Aowra)
(11) Suparna Sen (Astt. Teacher M.S Aowra)
12) Narayan Ram (Astt teacher)

उपस्थित ग्रामीणों ने ~~एवं प्रबंध समिति~~

निम्न प्रस्ताव पर विचार किया गया

(1). विकास राशि 2021-2022 का राशि खर्च पर चर्चा

(2) सितम्बर 2021 का mdm चावल वितरण देरी एवं वितरण करने के संबंध में

(3) प्रभारी शिक्षिका मंजू रानी को प्रभार मुक्त अक्षम होने कारण।

Scanned with CamScanner

क्र.	सदस्य का नाम	पद	पिता/पति का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	हस्ताक्षर
1.	मो॰ मुजाहिर अंसारी मो॰ 7004634817	अध्यक्ष	मो. कलीम अंसारी	मुजाहिर अंसारी	Md. Muzahir Ansari
2.	रेखा कुमारी मो॰ 9065194190	उपाध्यक्ष (संयोजिका)	दशरथ महतो	जितेन्द्र कुमार	रेखा कुमारी
3.	झलवा देवी 8271919026	सदस्य	बासुदेव रविदास	काजल कुमारी	निशान झलवा देवी
4.	कुन्ती देवी 9905215869	सदस्य	निलकंठ महतो	बिनकी कुमार	कुन्ती देवी
5.	तारा देवी 9065193688 ~~9065193 6~~	सदस्य	रंजीत महतो	काजल कुमारी	तारा देवी
6	सावित्री देवी 9507664048	सदस्य	सुरेश महतो	विवेक कुमार	निशान सावित्री देवी
7	गीता देवी	सदस्य	स्व. रूपलाल महतो	अरविन्द कुमार	गीता देवी
8.	सावित्री देवी 9031274516	सदस्य	डेगलाल रविदास	यशोदा कुमारी	सावित्री देवी
9.	राज कुमार रविदास 8928148782	सदस्य	करम रविदास	ऊषा कुमारी	Raj kumar Ravidas
10	शिबु रविदास 9801956397	सदस्य	धोकर रविदास	अशोक रविदास	शिबु रविदास
11	संजय रविदास 6200726276	सदस्य	बासुदेव रविदास	गंगाधर रविदास	संजय रविदास
12	बैजनाथ रविदास 7294112597	सदस्य	धोकर रविदास	संजीत कुमार	-
13	कुरैशा खातुन मो॰ 9801317082	वार्ड सदस्य	सहादत अंसारी		For Sahadat Ansari
14	रामेश्वर महतो 9955220997	शिक्षक सदस्य	बिहारी महतो		[signature]
15	~~प्रमिला कुमारी~~ संजना कुमारी	बाल संसद	विनोद महतो		
16	रामकिशोर यादव	संयोजक	परमेश्वर गोप		Yadav 13/9/19

Scanned with CamScanner

अनु-04 (9)

प्रस्ताव संख्या 04 :- उपरोक्त चयनित सदस्यों में से सर्वसम्मति से मोहम्मद मुजाहिर अंसारी के पिता मोहम्मद कलीम अंसारी को अध्यक्ष पद पर चयन किया गया एवं उपाध्यक्ष रेखा कुमारी पति - श्री दशरथ महतो को चयनित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 05. सर्व सम्मति से सरस्वती वाहिनी संचालन समिति / माता समिति के सदस्य के रूप में - झलवा देवी, कुन्ती देवी, तारा देवी, रेखा देवी, सावित्री देवी, गीता देवी एवं सावित्री देवी का चयन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 - सर्वसम्मति से माता समिति संचालन हेतु संयोजिका के पद पर रेखा कुमारी पति - श्री दशरथ महतो का चयन किया गया।

सभा की समाप्ति सभाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ की गई।

संजय रविदास
सभाध्यक्ष

उपरोक्त पुनर्गठन संबंधी समस्त प्रक्रिया मेरी उपस्थिति में सम्पन्न हुई।
S.K. Mahto
13/09/2021
CRP-cum-BRP
Bagodar

(हस्ताक्षर) 13.9.2021
पर्यवेक्षक

(हस्ताक्षर) Yadav 13/09/21
प्रधानाध्यापक
मध्य विद्यालय औरा
बगोदर (गिरिडीह)

07

अ305 (8)

आज दिनांक 20.01.2022 दिन गुरुवार को ग्रामीणो की उपस्थित मे एक आवश्यक बैठक रखी गई जिसकी अध्यक्षता मो० मुजाहिद अंसारी ने की ।

Md Muzahir Ansari
अध्यक्षता हेतु
20/1/2022

ग्रामीणो की उपस्थिति एवं प्रबंध समिति

(1) प्रकाश चन्द्र यादव 20.01.2022
(2) संतोष कुमार 20.01.2022
(3) Ainul Ansari
(4) Sahadat Ansari
(5) रवि मेहता भा.ज.पा. महामंत्री औरा 20/1/2022
(6) सुनील कुमार गुप्ता 20.01.2022
(7) भीम लाल महतो
(8) रेखा कुमारी
(9) मंजु रानी सहायक शिक्षिका उ०म०वि० औरा ।
(10) [illegible] (Astt. teacher M.S Aowra)
(11) Suparna Sen (Astt. Teacher M.S. Aowra)
12) Narayan Ram (Astt. teacher)

उपस्थित ग्रामीणों ने ~~एवं प्रबंध समिति सदस्य~~
निम्न प्रस्ताव पर विचार किया गया

(1). विकास राशि 2021-2022 का राशि खर्च पर चर्चा

(2) सितम्बर 2021 का MDM चावल वितरण देरी एवं वितरण करने के संबंध में

(3) प्रभारी शिक्षिका मंजू रानी को प्रभार मुक्त अवकाश होने कारण ।

(3) नया रजिस्टर बना के Oct. Nov. तथा DEC. 2021 का MDM चावल का वितरण किया गया.

(4) श्रीमती मंजू ~~कुमारी~~ रानी को अंतिम प्रभार 18/12/2 को दिया गया है जिसके कारण पूर्ण कागजात देने में असमर्थ रही।

(5) ग्रामीणों ने सितम्बर MDM चावल वितरण देरी एवं एक महीना तक श्रीमती मंजू रानी को अंतिम प्रभार क्यों इसकी जांच की मांग की जाएगी।

(6) विज्ञान कक्ष में 1 बोरा चावल पाया गया।

Md Mudasir Alam
20/01/2022
अध्यक्ष प्र० समिति

अनु- 06

(1)

सेवा में,
जिला शिक्षा अधीक्षक
गिरिडीह।

विषय: आदर्श मध्य विद्यालय औंरा (प्रखंड- बगोदर) में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और MDM के चावल वितरण में हुई अनियमितता की जांच के संबंध में।

महोदय,

हम औंरा के ग्रामीण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मो. मुजाहिर अंसारी की अगुवाई में ये पत्र प्रेषित कर रहे हैं।

मो. मुजाहिर अंसारी की अध्यक्षता में आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में 20 जनवरी 2022 को प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक के उपरांत निम्न बिंदुओं पर जांच और कार्रवाई की मांग आपसे की जा रही है।

1. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा के प्रधानाध्यापक श्री राम किशोर यादव 18 दिसंबर 2021 से लगातार अनुपस्थित हैं। उन्होंने व्हाट्सऐप मैसेज कर श्रीमति मंजू रानी को विद्यालय का आंशिक प्रभार दिया है। एक माह से ज्यादा का वक्त बीच चुका है लेकिन न तो श्री राम किशोर यादव विद्यालय आए हैं और न ही विद्यालय में मौजूदा समय में कोई पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक हैं। इसलिए अनुरोध है कि विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की अतिशीघ्र नियुक्ति की जाए।

2. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में दो बार बगोदर थाना की पुलिस जांच-पड़ताल के लिए पहुंची थी। प्रभात खबर समाचार-पत्र में 20 दिसंबर 2021 को एक खबर छपी थी जिसमें MDM चावल जब्ती के मामले में आदर्श मध्य विद्यालय के एक शिक्षक का नाम आया है। अगर MDM चावल को लेकर हुई अनियमितता में विद्यालय के एक कतिपय शिक्षक की संलिप्तता है तो उक्त शिक्षक को यहां से हटाने की मांग हम करते हैं।

3. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में 17 बोरा चावल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। उक्त चावल किस महीने का है और बगैर वितरण का विद्यालय में क्यों पड़ा हुआ है, इसकी जांच कराई जाए और दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उक्त भंडारित चावल का वितरण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए।

[signature] 2-2-22

अनु-06

(15)

4. आंशिक प्रभार-प्राप्त प्रधानाध्यापिका श्रीमति मंजू रानी ने बताया कि उक्त 17 बोरा चावल पूर्व से ही यहां रखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक नया रजिस्टर बनाकर MDM चावल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का उठाव किया और उसका वितरण रोस्टर के अनुसार छात्र-छात्राओं में करवा भी दिया गया।

5. आदर्श मध्य विद्यालय, औंरा में श्री राम किशोर यादव को खाते का एकल संचालन (बिना अध्यक्ष के) कब से कब तक की अवधि के लिए दिया गया और क्यों दिया गया, इसकी जांच की जाए।

अत: श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया जाए।

दिनांक- 01-02-2022
औंरा, बगोदर (गिरिडीह)

Md Muzahir Ansari
मो. मुजाहिर अंसारी
((अध्यक्ष- प्रबंधन समिति
आदर्श मध्य विद्यालय))
ग्राम+पोस्ट- औंरा
बगोदर
गिरिडीह- 825322
मोबाइल- 7004634817

क्र.सं.	प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
01.	कुन्ती देवी	कुन्ती देवी
02.	रेखा देवी	रेखा कुमारी
03.	सावित्री देवी	सवित्री देवी →
04.	तारा देवी	तारा देवी
05.	गीता देवी	गीता देवी
06.	संजय रविदास	संजय रविदास
07.	सावीत्री देवी	सावित्री देवी
08.	झलवा देवी	झलवा देवी →
09.	शिबू रविदास	शिबू रविदास
10.		
11.		
12.		

P.T.O.

जिला गिरिडीह

पंजी

माह फरवरी 20-22

JAGESHWARI KUMARI				MANTU PRASAD SINGH				
हस्ताक्षर	आगमन	हस्ताक्षर	प्रस्थान	हस्ताक्षर	आगमन	हस्ताक्षर	प्रस्थान	अभ्युक्ति
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	पत्रांक - 17 दिनांक 6-01-2022				
उआO		उO		के आलोक में पंचायत				
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	विखण्डीकरण के प्रतिनियोजित				
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	11:30					
SUNDAY								
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	11:30					
रविवार								
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00					
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	MP Singh	800	MP Singh	200	
संत रविदास जयन्ती								
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	MP Singh	800	MP Singh	200	
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	MP Singh	800	MP Singh	200	
J. kumari	8:00	J. kumari	11:30	MP Singh	800	MP Singh	1130	
रविवार				रविवार				
Nishtha FLN 3.0 Training				MP Singh	800	MP Singh	200	Seen [illegible] 25/02/2022 REO, Dumri
				MP Singh	800	MP Singh	200	
				MP Singh	800	MP Singh	200	
				MP Singh	800	MP Singh	200	
J. kumari	8:00	J. kumari	2:00	MP Singh	800	MP Singh	200	
J. kumari	8:00	J. kumari	11:30	MP Singh	800	MP Singh	1130	
रविवार				~~MP Singh 800~~ रविवार				
J. kumari	8:00	J. kumari		MP Singh	800	MP Singh	1000	

आ. अ उप	
इस माह में	
गत माह तक	
कुल योग	

Scanned with CamScanner

3/3-08 (13)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2023	**वाद संख्या–16/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। सुनवाई में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह का कहना है कि उनके संज्ञान में पूरा मामला है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने आयोग को आश्वस्त किया है कि वे इस पूरे मामले में एक जिला स्तरीय उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से मामले की जाँच करवा कर आयोग को प्रतिवेदन भेजेंगे। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश देता है कि जाँच समिति द्वारा जिन–जिन व्यक्तियों को इस पूरे मामले के लिये जिम्मेवार चिन्हित किया जाता है उनके खिलाफ कृत कार्रवाई से भी आयोग को अवगत कराया जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–16.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx54	

अनु-09 (2)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.05.2023	**वाद संख्या–16 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज ,की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस वाद में दिनांक–19.04.2023 को हुई सुनवाई में आयोग के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। आयोग इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को अंतिम अवसर देता है। यदि आयोग के आदेश के अनुपालन में चूक हुई तो आयोग उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इस चेतावनी के साथ आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को निर्देश देता है कि आयोग द्वारा दिनांक–19.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में पारित आदेश के अनुपालन का प्रमाण 07 दिनों के अन्दर आयोग को भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx69	

3159 (1)

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.05.2023 08/06/23	**वाद संख्या–16/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं अन्य, ग्राम+पो0–औरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में लगातार दो सुनवाई में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया गया। आज की सुनवाई में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह आयोग को ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समझाने लग गये। आयोग यह मानता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक जानबूझ कर न तो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और न ही आयोग के आदेश का अनुपालन। ऐसे में जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से बताएँ कि आयोग उनके विरूद्ध अदालत में वाद दायर करने की प्रक्रिया क्यों न दायर करे। 07 दिनों के अन्दर यदि जिला शिक्षा अधीक्षक का स्पष्टीकरण नहीं आया या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग अदालत में जिला शिक्षा अधीक्षक के विरूद्ध वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx73	